न्यायालय बईजलास उपखण्ड अधिकारी चाकसू जिला, जयपुर

पीठासीन अधिकारी :– ओमप्रकाश सहारण (आरएएस)

अपील संख्या :– 155/2017 निर्णय दिनांक :– 12.1.21

उनवान

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील चाकसू जिला जयपुर।

––वादी

बनाम

1. हनुमान सहाय पुत्र प्रभुदयाल शर्मा हि0 15100/106800 जाति ब्रहाम्ण निवासी 303 प्रेमनगर जगतपुरा जयपुर।
2. नाथूलाल जांगिड पुत्र नारायण जांगिड हि0 10200/106800 जाति खाती निवासी सालगरामपुरा तहसील चाकसू।
3. नन्दलाल मोतीलाल पि0 गणेश भूली बेवा गणेश हिस्सा 7716/106800 रामू पुत्र नाथू हिस्सा 11260/106800 मुकेश रमेश पि0 गोपाल गेन्दी बेवा गोपाल हि0 1772/1063800 रामस्वरूप पुत्र गणेश हि0 1772/106800 ग्यारसी लाल पुत्र सुखाराम दत्तक पुत्र छोटू हि0 5680/106800 धापू बेवा छोटू हि0 5580/106800 मदन लाल पुत्र गंगाराम हि0 11260/106800 जाति गुर्जर निवासी दादनपुरा।
4. जगदीश रामकिशोर पि0 सुखा जाति गुर्जर 11260/106800 निवासी दादनपुरा

––अप्रार्थीगण

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड, चाकसू (जयपुर)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

प्रार्थना पत्र प्रार्थी पैरोकार सरकार द्वारा अन्तर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत निम्न प्रकार प्रस्तुत कर निवेदन है किया कि तहसील चाकसू पटवार मण्डल डाहर ग्राम दादनपुरा के आ. ख. न 416 कुल किता 01 रकबा 10.68 है0 किस्म बारानी की भूमि श्री हनुमान सहाय पुत्र प्रभुदयाल शर्मा हि0 15100/106800 जाति ब्रहाम्ण निवासी 303 प्रेमनगर जगतपुरा जयपुर श्री नाथूलाल जांगिड पुत्र नारायण जागिड हि0 10200/106800 जाति खाती निवासी सालगरामपुरा तहसील चाकसू श्री नन्दलाल मोतीलाल पि. जागिड हि0 10200/106800 जाति खाती निवासी सालगरामपुरा तहसील चाकसू श्री नन्दलाल मोतीलाल पि0 गणेश भूली बेवा गणेश हि0 7716/106800 रामू पुत्र नाथू हिस्सा 11260/106800 मुकेश रमेश पि0 गोपाल गेन्दी बेवा गोपाल हि0 1772/106800 रामस्वरूप पुत्र गणेश हि0 1772/106800 ग्यारसी लाल पुत्र सुखाराम दतक पुत्र छोटू हि0 5680/106800 धापू बेवा छोटू हि0 5580/106800 मदन लाल पुत्र गंगाराम हि0 11260/106800 निवासी सा0 देह के नाम दर्ज रिकार्ड है। जिसकी जमाबन्दी सम्वत 2069 से 2072 संलग्न है। मुताबिक रिपोर्ट पटवारी हल्का डाहर अप्रार्थीगण द्वारा ख.न 416 कुल किता 01 रकबा 10.68 है0 मे से 5.05 है0 किस्म बारानी 2 कृषि भूमि सम्पूर्ण भूमि मे गै0 मु0 स्कीम स्थित है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत उक्त भूमि कृषि प्रयोजन हेतु हेतु होती है, जबकि अप्रार्थीगण द्वारा बिना सक्षम अधिकारी की स्वीकृति के तथा बिना संपरिवर्तन कराये

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड, चाकसू (जयपुर)

उक्त ख.न का आवासीय कार्य हेतु प्रयोग कर अकृषि उपयोग किया जा रहा है। जो कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों के विरूद्ध है। ख0न0 416 किता कुल किता 01 रकबा 10.68 है0 मे से 5.05 है0 भूमि का बिना सक्षम अधिकारी की स्वीकृति के कृषि से भिन्न प्रयोजन उपयोग करने के कारण राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 177 का प्रकरण बनता है। प्रथम दृष्टया केश व सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष मे है। अप्रार्थीगण के उक्त कृत्य से राज्य सरकार को अपूर्णनीय क्षति होगी जिससे पूर्ति द्रव्य में संभव नही है। श्रीमान को प्रार्थना पत्र को सुनने का क्षेत्राधिकार है। राज्य सरकार की ओर से जरिये तहसीलदार प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने के कारण न्यायालय फीस से मुक्त है। खसरा गिरदावरी के अनुसार सम्वत 2073 की किसी प्रकार की काश्त का उल्लेख नही है। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन है कि खातेदार काश्तकार द्वारा हानिप्रद कार्य व शर्त भंग करने के कारण ग्राम दादनपुरा के ख.न 416 कुल किता 01 रकबा 10.68 है मे से 5.05 है0 किस्म बारानी 2 की खातेदारी अधिकारी समाप्त किये जाकर उक्त ख.न रकबा सिवायचक सरकार घोषित किया जावे तथा बेदखली के आदेश जारी किये जाकर कब्जेराज लेने के आदेश फरमाने की कृपा करें। पेरोकार सरकार द्वारा प्रार्थना पत्र 177 के तहत पेश किये जाने पर प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्ट्रर किया जाकर अप्रार्थीगण की तलवी जारी की गयी तो अप्रार्थीगण की तरफ से श्री सुरेश शर्मा एडवोकेट ने वकालत नामा व जवाब प्रार्थना पत्र इस प्रकार पेश किया गया कि प्रार्थना पत्र का मद नंबर 01 स्वीकार है। प्रार्थना पत्र के मद नंबर 02 में वर्णित तथ्य गलत होने से अस्वीकार

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड, फागस (जयपुर)

है। मिन अप्रार्थी ने अपने हिस्से की आराजी पर कोई किसी प्रकार की स्कीम विकसित नही कर रखी है। प्रार्थना पत्र के मद नंबर 03 में वर्णित तथ्य भी गलत होने से अस्वीकार है जब मिन अप्रार्थी ने किसी प्रकार का कोई गैर कृषि कृत्य किया ही नही तो सक्षम अधिकारी की स्वीकृति का प्रश्न ही पैदा नही होता हैं प्रार्थना पत्र के मद नंबर 04 में वर्णित तथ्य गलत होने से अस्वीकार है। पटवारी ने राजनैतिक देवता से ग्रसित होकर बिना मौके पर अप्रार्थी के हिस्से का परिशीलन किये बिना मिन अप्रार्थी व किसी स्वतंत्र गवाहो के उपस्थिति के बिना मिथ्या आधारा पर जो पटवारी रिपोट बनाकर प्रकरण 177 का बनाया गया है उसका सत्यता से कोई संबध व सरोकार नही है। इस प्रकार प्रकरण खारिज किये जाने योग्य है। पत्रावली पर ऐसा कोई सक्षम साक्ष्य नही है जिससे प्रकरण 177 का बनता हो तथा विधि का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि बिना साक्ष्य के कोई भी प्रकरण चलने योग्य नहीं है बावजूद उसके प्रार्थी तहसीलदार ने आनन फानन में उक्त प्रकरण न्यायालय में पेश किया है जिससे गरीब व समाज के अन्तिम बिन्दू पर जीने वाले गरीब काश्तकारों के अधिकारो का हनन हो रहा है तथा राजस्व नास भी हो रहा है उक्त कार्यवाही की वजह से प्रार्थी अपनी उक्त आराजी का उपयोग उपभोग नहीं कर पा रहा है, ना ही उस पर सिंचाई के साधन की व्यवस्था कर पा रहा है जिससे अप्रार्थी के वैधानिक अधिकारों को हनन हो रहा है जो असवैधानिक है तथा प्राकृतिक न्याय के दृष्टिकोण के भी विपरित है। तत्कालिन पटवारी ने दुर्भावना से राजनैतिक देशता वंश उक्त प्रकरण अप्रार्थी के खिलाफ बिना जांच पडताल किये बिना किसी सक्षम साक्ष्य के पेश किया है. जबकि पत्रावली पर कोई सक्षम साक्ष्य नही है। इसलिये

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड, चाकसू (जयपुर)

प्रकरण प्रथम दृष्टया ही खारिज किये जाने योग्य है। मौके पर कोई किसी प्रकार का गैर कृषि कृत्य नही हो रहा है। अप्रार्थी बिना भू–परिवर्तन कोई गैर कृषि कार्य नही करेगा। प्रार्थी रिर्कोडेड काबिज खातेदार है उसको उसके वैधानिक अधिकारो से वंचित करने के लिये उक्त प्रकरण बिना किसी सक्षम साक्ष्य के पेश किया है जो खारिज किये जाने योग्य है। प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि बेबुनियाद व मनगढत तथ्यों के आधार पर अप्रार्थी के खिलाफ जो प्रार्थना पत्र पेश किया है वो खारिज फरमाने की कृपा करे जो न्यायहित में न्यायोचित है।

जवाब प्रार्थना पत्र पेश होने पर बहस प्रार्थना पत्र वकील अप्रार्थीगण की सुनी गयी तो अप्रार्थीगण के वकील ने जवाब प्रार्थना पत्र का समर्थन करते हुये कथन किया कि अप्रार्थीगण किसी प्रकार को कोई गैर कृषि कार्य नही किया जिससे सक्षम अधिकारी की स्वीकृति की आवश्यकता हो। पटवारी हल्का ने राजनैतिक देषता के कारण बिना मौके पर अप्रार्थी के हिस्से का परिशीलन किये बिना व बिना स्वतन्त्र गवाहो की उपस्थिति के बिना मिथ्या आधारों पर रिपोर्ट बनाकर प्रकरण 177 का बनाया गया। वो गलत तथ्यों के आधार पर बनाया है जो खारिज किये जाने योग्य है।

वकील अप्रार्थीगण की बहस पर गोर किया व पत्रावली का व जवाब का परीक्षण किया गया तो वादग्रस्त भूमि अप्रार्थीगण की खातेदारी भूमि है जिसमें जवाब प्रार्थना पत्र के अनुसार किसी प्रकार का गैर कृषि कार्य किया जाना नही पाया गया है। पटवारी हल्का ने बिना मौके पर अप्रार्थी के हिस्से का परीक्षण किये बिना व बिना किसी स्वतन्त्र गवाहो की उपस्थिति के बिना मिथ्या आधारों पर जो रिपोर्ट बनाकर प्रकरण 177 का बनाया गया है, न ही पत्रावली पर

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड, चाकसू (जयपुर)

ऐसा कोई साक्ष्य नही है जिससे प्रकरण 177 का बनता हो। तहसीलदार द्वारा भी बिना जॉच किये व बिना साक्ष्य के प्रकरण बनाकर न्यायालय में पेश कर दिया गया जिससे गरीब काश्तकारो के अधिकारो का हनन हो रहा है व राजस्व नुकसान भी हो रहा है न ही अप्रार्थी अपनी भूमि का उपयोग व उपभोग कर पा रहे है न ही अप्रार्थीगण अपनी उक्त भूमि पर सिचाई का साधन की व्यवस्था कर पा रहा है जो प्राकृतिक न्याय के दृष्टिकोण के भी विपरीत है। इस प्रकार उपरोक्त विवेचन अनुसार अप्रार्थीगण रिकार्डेड काबिज खातेदार है उसको उसके वैधानिक अधिकारों से वचिंत करने के लिये उक्त प्रकरण बिना किसी सक्षम साक्ष्य के पेश किया गया है जिसमें किसी प्रकार से वादग्रस्त भूमि को कृषि से अकृषि कार्य में उपयोग में नही लिया गया है न ही खातेदार काश्तकार द्वारा हानिप्रद कार्य व शर्त भंग की है न ही अप्रार्थीगण ने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का उलघंन किया है न ही तहसीलदार पेरोकार सरकार को बार बार लिखे जाने पर भी उक्त प्रकरण को साबित करने में व साक्ष्य सबुत पेश करने में असफल रहने से प्रार्थना पत्र 177 का खारिज किये जाने योग्य होने से खारिज किया जाना उचित समझते है। अतः प्रार्थना पत्र 177 का खारिज किया जाता है। पत्रावली बाद तकमील नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
चाकसू (जयपुर)